

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238498
SG-DL-E-01092022-238498

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022/भाद्र 9, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 236
No. 403]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022/BHADRA 9, 1944	[N. C. T. D. No. 236

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-II(विभाग)
अधिसूचना

दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

फा. सं. 20/4/2003/गृ.पु.-II/1828.—जबकि, आदेश संख्या 22400-99/प्रशासनिक शाखा/यातायात, दिल्ली दिनांक 01.11.2004 के द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए डी-7, अब्दुल गफ्फार खान मार्ग, नजदीक मसूदपुर गॉव, वसंत कुंज, नई दिल्ली पर एक सामान्य टैक्सी स्टैंड को अधिसूचित किया गया था । और जबकि, अधिसूचना प्राधिकारी ने बाद में अधिसूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है यदि जनहित में ऐसा करना जरूरी हो या भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति उठाई जाती है ।

और जबकि, भूमि स्वामित्व एजेंसी ने यह सूचित किया है कि उपरोक्त भूमि पर दिल्ली मेट्रो के एमआरटीएस चरण-4 परियोजना के तहत एरोसिटी से तुगलकाबाद मेट्रो कॉरिडोर (लाईन-10) के एरोसिटी से किशनगढ़ खंड के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है ।

इसलिए, अब, मैं, अजय पाल सिंह, उपायुक्त पुलिस/यातायात (मुख्यालय), दिल्ली, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28 (1) (बी) के साथ पठित 'दिल्ली सड़कों व गलियों में वाहनों और अन्य यातायात नियन्त्रण विनियम-1980' की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डी-7, अब्दुल गफ्फार खान मार्ग, नजदीक मसूदपुर गॉव, वसंत कुंज, नई दिल्ली पर अधिसूचित सामान्य टैक्सी स्टैंड को तुरन्त प्रभाव से डीनोटीफाई करने का आदेश जारी करता हूँ ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों मय यातायात इकाई और समस्त थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 31/08/2022 को जारी किया गया ।

अजय पाल सिंह, उपायुक्त पुलिस

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st August, 2022

F. No. 20/4/2003/HP-II/1828.—Whereas, a General Taxi Stand was notified vide Order No. 22400-99/Admn. Br./Traffic dated 01.11.2004 at D-7 on Abdul Gaffar Khan Marg near Masoodpur Village, Vasant Kunj, New Delhi for the convenience of general public. And whereas, the notifying authority has reserved the right to cancel the notification subsequently, if warranted in public interest or any objection raised by the land owning agency.

And whereas, land owning agency has informed that under the construction of Aerocity to Tughlakabad metro corridor (Line-10) of Delhi MRTS Phase-IV work on Aerocity to Kishangarh section has already started.

Now, therefore, I, Ajay Pal Singh, Deputy Commissioner of Police, Traffic (HQ), Delhi in exercise of powers conferred upon me under Regulation 3 of the Delhi Control of vehicular and Other Traffic on Road and Street Regulations, 1980, do hereby order that the denotification of general taxi stand with immediate effect notified at D-7 on Abdul Gaffar Khan Marg near Masoodpur Village, Vasant Kunj, New Delhi.

This order shall be published for information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice board of the offices of all DCsP/Traffic-Districts, District DCsP and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of the office on the 31/08/2022.

AJAY PAL SINGH, Dy. Commissioner of Police